प्रकरण सं. 44/2017 अन्तर्गत 88, 188 R.T.Act उमेदराम v/s स्टेट

दि० 19-12-17 वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं 1 व 2 के समन तामील। अभ्यावेदक पक्ष नहीं होने से वकील वादी नये PF समय पेश करें। पश्चात दिनांक 5-2-2018 को पेश हो।

दि० 5-2-2018

प्रकरण अधिवक्ता उपस्थित। आज साहब अनुपस्थित आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक 27-3-2018 को पेश हो।

दि० 27-3-18

प्रकरण अधिवक्ता उपस्थित। आज साहब बार एसो. सिरोही के प्रदर्शन में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक 8-5-2018 को पेश हो।

दि० 8-5-2018

प्रकरण अधिवक्ता उपस्थित। आज साहब आवश्यक राजकार्य N.C. में व्यस्त हैं। पश्चात अन्य तारीख लेवरी में अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक 6-6-2018 को पेश हो।

दिनांक 6-6-2018

यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विधायकों शासन करने का कोई निस्तारण कर बहाना देने हेतु प्रदान करने की दृष्टि से न्याय मण्डल द्वारा अभियान 2018 के तहत राज० मो० अ० कोर्ट कोर्ट सहायता सेवा केन्द्र कोर्ट के समक्ष पेश हुई। वादी को डमटी नोटिस तामील शुदा फरीकान मकान पर बस्ता छोड़कर प्राप्त होने से शा० मि० किया। सुनवाई के दौरान वादी हाजिर लेकिन हस्ताक्षर करने से मना किया। प्रतिवादी स्टेट की ओर से स्वयं तहसीलदार सिरोही उपस्थित हुये। तहसीलदार सिरोही ने सुनवाई के दौरान स्टेट की ओर से जवाब पेश किया, जिसमें 210 मि० किया। प्रतिवादी स्टेट तहसीलदार सिरोही द्वारा विवाद प्रकरण में आपसी बहस करने से एक पक्षीय अंतिम बहस सुनकर उस पर गौर से मनन किया। विवाद

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page

App-A
Crim-I

FORM NO - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (CS-20) सिरोही मुकाम

उम्मेदखां बनाम बनाम 1. स्टेट मुख्यालय सिरोही 2. स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही

किस्म मुकदमा राजस्व वाद सं० 88, 188 RT Act

मुकदमा सं. 44/2017

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	पक्षकार की सम्पूर्ण कार्यवाही मय वादपत्र हाथ वाद ग्रस्त कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2067-2070 खाता नं. 01 की सरकार राजस्व रेकर्ड धारा 91 L.R. का नोटिस, इबसरा परिवर्तन भौम नकल, संवत 2066 से, लगान की रसीदें, धारा 80 सीपीसी का नोटिस दि 19-12-16, बादी के प्रमाण के विद्युत बिल, विवादित स्थल के फोटो ग्राफस व या तहसीलदार सिरोही का जवाब का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया। प्रतिवादी स्टेट की ओर से तहसीलदार सिरोही ने अपनी बहस में जवाब दावा में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वाद ग्रस्त कृषि भूमि खाता नं. 1870/1141 कुल रकबा 1.36 हेक्टेयर मौजा तंवरी तहसील सिरोही की जमाबंदी संवत 2067-2070 के खाता नं. 01 की सरकार के आधार पर बिलानाम भूमि है। उक्त इबसरा नंबर 1870/1141 में पहले बादी द्वारा बाड़ बनाया गया था। उक्त बाड़े सहित अन्य बाड़ों को भी हटाया गया था। उसके उपरान्त बादी द्वारा नियमित कब्जा का रेकर्ड उपलब्ध नहीं करवाया साथ ही बादी का नियमित कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में बादी अपमन की शिकायत को पूरा नहीं करता है। सम्पूर्ण प्रकरण	

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page

के विवेचन के उपरान्त निष्कर्षात्मक स्वीकृत तथ्यात्मक स्थिति अनुसार वादी को वाद ग्रस्त भूमि आवंटित नहीं है बल्कि बिलानाम सरकार की भूमि है तथा वादी को वाद ग्रस्त भूमि से पूर्व में बेदखल किया है तथा वादी द्वारा इस भूमि पर गत 40 वर्षों से निरन्तर कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चला आने से वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व होने से संबंध दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है तथा न ही वादी ने नियमन की निर्धारित शर्तों को पूरा किया है। वादी द्वारा वाद कब्जे के आधार पर पेश किया है जो विवादित कब्जे पर अपने कब्जे की स्थिति स्वयं वादी को ही सिद्ध करनी होती है परन्तु विचारण वाद में वादी गत 40 वर्षों से निरन्तर कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चला आने का सिद्ध करने में दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में असफल रहे हैं।

"कानूनी नजीर R.R.T. 2011 (2) Board of Revenue For Rajasthan Ajmer Full Bench. Jagdish & other V/S Sita Ram & others Decided on 3rd June 2011 - No provision to Confer tenancy Rights on the basis of the adverse possession & Courts Can not Conferred the tenancy Rights"

अतः उपरोक्त आधार पर वादी का यह वाद अ0धा0 88, 188 R.T. Act के तहत प्रतिवादी स्टेट द्वारा सिरोही बाबत दाखल करने स्वामित्व कब्जे की उद्घोषणा तथा दाखल करने इजाई निषेधाज्ञा का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार (खारिज) किया जाता है। निर्णय सार्वजनिक केन्द्र पर सेवा केन्द्र तंवरी से बजने आम में सुनाया। लेखानुसार पत्रावली तैयार होकर तैयार की जाती है। पत्रावली के साथ शुमार होकर नंबर से कम हो।

06/8/18

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज0)